न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 5212-दो/15

कमलेश्वर तिवारी
दिनांक 9-12-15

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

Rs 20/-

1– अमरेश कुमार । दोनो के पिता बाल्मीक ब्रा0 सा0 सलैया

2– अरूणेश प्रसाद । रूस्तम थाना / तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

3– छठिलाल प्रसाद तनय स्व0 शंकर राम ब्रा0 सा0 सलैया रूस्तम थाना / तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)—–आबेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1– सुरेन्द्र प्रसाद तनय जनार्दन प्रसाद

2– जनार्दन प्रसाद । तीनो के पिता स्व0 शंकर राम ब्रा0 सा0

3– भोलानाथ । सलैया रूस्तम थाना / तहसील मऊगंज

4– बालमीक प्रसाद । जिला रीवा (म0प्र0)—– अना0/गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आबेदन पत्र बिरूध्द आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज के बिनर्विलोकन प्रकरण कमांक 03/ए6/पुनर्विलोक 15 16 में पारित आदेश दिनांक 27–11–15 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा.0 सं0 सन्1959ई0/

मान्यवर,

पुनरीक्षण आबेदन के संक्षिप्त विवरण :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. -5212–दो–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अमरेश / सुरेन्द्र	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –02–2016	यह निगनारी अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के प्रकरण कमांक 3/अ–61/पुनर्विलोकन/15–16 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री कमलेश्वर तिवारी को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक द्वारा दिनांक 16.11.15 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में दिनांक 9.9.2015 को जारी आदेश आवेदक को बिना सुने जारी किया गया है, कृपया अपने आदेश दिनांक 9.9.15 पर पुनर्विचार कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें। तहसीलदार द्वारा अनावेदक के उक्त आवेदन दिनांक 16.11.15 के आधार पर अपने पूर्व आदेश दिनांक 09.09.2015 के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय क प्रकरण कमांक 188/अ'6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 27.11.15 से आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए ही तहसीलदार के पूर्व आदेश दिनांक 9.9.15 के पुनर्विलोकन करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी के एकपक्षीय पुनर्विलोकन की अनुमति आदेश दिनांक 27.11.15 को निरस्त करने का निवेदन आवेदक अधिवक्ता द्वारा किया गया है। पुनर्विलोकन की अनुमति दिए जाने के संबंध में 1996, रा.नि. 118 (हाईकोर्ट), एवं सालोमन स्मिथ वि. म.प्र. राज्य तथा अन्य 2005 रा.नि. 148 (श्री एम.के.सिंह,सदस्य,रा.मं.) में यह	

प्रकरण कमांक निग. -5212–दो–.2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अमरेश / सुरेन्द्र	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि पूर्ववर्ती नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की नायब तहसीलदार ने पुनर्विलोकन की अनुमति चाहा। अनुमति दने वाले न्यायालय के द्वारा उस पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जो पुनर्विलोकन से प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार अंतिम कुमार तथा अन्य वि. म.प्र.राज्य तथा एक अन्य 2007 रा.नि.,25 (श्री डी. सिंघई सदस्य) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार को सूचना दिए बिना पुनर्विलोकन की अनुमति अवैधानिक है।

उपरोक्त न्यायसिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए एक पक्षीय रूप से पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः उक्त प्रतिपादित न्यायसिद्धांतों के अनुसरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.11.15 द्वारा दिया गया पुनर्विलोकन का अनुमति आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विधि अनुकूल तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में पुनर्विलोकन आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

9.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य